उपायुक्त का कार्यालय (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग), धनबाद।

–: अल्पकालीन निविदा का आम सूचना :–

सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनबाद जिले के निर्धन, अपंग, विधवा, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कम्बल वितरण योजना हेतु कम्बल क्रय के लिए निवंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा दिनांक **06.12.2018** को **2:00** बजे तक उपायुक्त का कार्यालय(सामाजिक सुरक्षा कोषांग), धनबाद में आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित निविदा लाह से सील मुहरबन्द लिफाफे में होना आवश्यक है। निविदा दिनांक **06.12.2018** को **3:00** बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा की शर्ते झारखण्ड सरकार के वेबसाईड **www.jharkhand.gov.in** अथवा **www.dhanbad.nic.in** पर प्राप्त किया जा सकता हैं।

वस्त्र वितरण योजनान्तर्गत जिले में वृद्ध, वृद्धा असहाय एवं भिक्षुकों के बीच वर्ष 2018–19 में मुफ्त वितरण हेतु कम्बल आपूर्ति के लिए ख्याति प्राप्त कम्बल निर्माताओं/अधिकृत थोक विक्रेताओं/अधिकृत वितरकों/लघु उद्योग ईकाई/खादी ग्रामोद्योग से निविदा आमंत्रित किए जाते है।

–: निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को तकनीकी एवं वित्तीय बीड मुहरबंद लिफाफे में अलग–अलग देना अनिवार्य होगा। दोनों लिफाफे को एक लिफाफा में डालकर मुहरबंद लिफाफे में देना होगा। एक लिफाफे में केवल नमूना अलग से देना होगा नमूना पर किसी भी परिस्थिति में दर अंकित नहीं रहेगा। इस मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा का नमूना शब्द अंकित रहेगा तथा इसे एक अलग बड़े लिफाफा में सील मुहर बंद (लाह से) होना चाहिए।

तकनीकी बीड के अन्दर

1. कम्बल आपूर्ति हेतु निविदादाताओं को निविदा के साथ उपायुक्त धनबाद के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का 350000/– (तीन लाख पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
2. वाणिज्यकर निबंधन तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं GST निबंधन, GST नम्बर सहित।
3. पैन संख्या ।
4. प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र ।
5. अद्यतन आयकर रिटर्न ।
6. काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र।
7. ड्राफ्ट तकनीकी लिफाफे में ही बंद रहेगा।

वित्तीय बीड के अंदर

1. वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में रहेगा जिसमें सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता एवं दर का रहना अनिवार्य है।

अन्य शर्तें:–

1. सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए कम्बल की लंबाई एवं चौड़ाई न्यूनतम क्रमशः 90'' एवं 60'' एवं न्यूनतम वजन 2.0 कि0ग्रा0 होनी चाहिए निविदा दर में सभी करों एवं परिवहन तथा हाथालन व्यय सम्मिलित रहेगा।
2. एक निविदादाता प्रतिष्ठान को एक ही कम्बल की विवरणी/नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक विवरणी/नमूना मान्य नहीं होगा।
3. दूसरे मुहरबंद लिफाफे में प्रत्येक नमूना के लिए केवल एक दर अंकित रहेगा जिसमें सभी करों सहित परिवहन एवं हाथालन की दर भी सम्मिलित रहेगा।
4. कम्बल आपूर्ति चयनित नमूना एवं गुणवता के अनुरूप करना होगा। विभेद पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता को अपने खर्च पर बदलना होगा।
5. सभी कम्बलों में झारखण्ड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगवाना सुनिश्चित कराएँगें।
6. स्वीकृत निविदादाता को कम्बल की आपूर्ति जिला के विभिन्न प्रखण्डों में करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद सहायक श्रमायुक्त, धनबाद के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नकली अथवा खराब सामग्री देने पर काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज, करने के अतिरिक्त विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने पर आदेश प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर कम्बल की आपूर्ति करनी होगी जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 56777 (छप्पन हजार सात सौ सतहत्तर) कम्बल होगा।
9. निर्धारित समय बीत जाने के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
धनबाद।